O/o CE (HR)
C.S.P.G.C.L., RAIPUR
Rect. No. 4092
Date 19.5.17

प्रति,

श्रीमान मुख्य अभियंता मानव संसाधन
छ0ग0 स्टेट पावर, जनरेशन कंपनी
लिमिटेट, रायपुर, छ0ग0

विषय :– सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत् जानकारी/दस्तावेज प्रदाय करने बाबत्।

महोदय,

उल्लेख है कि मैं गिरधारी लाल साहू वल्द स्व0 भवनाथ साहू छ0ग0रा0वि0उ0क0 मर्या0 कोरबा पूर्व में संयंत्र सहायक श्रेणी – 1 में कार्यरत था। मेरे विरूद्ध गौतम लाल साहू पिता गेंदराम साहू, द्वारा फर्जी अंकसूची में नौकरी करने का शिकायत किया था जिसमें विभागीय कार्यवाही की गई थी और अंतिम जिसमें अंतिम निर्णय पारित किया गया है। मुझे विभाग द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया है। उक्त जांच कार्यवाही के समस्त दस्तावेज व अंतिम निर्णय की सत्यापित कापी प्राप्त करने हेतु मैंने श्रीमान जन सूचना अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियंता (मा.सं.वि.) छ.रा0वि.उ.कं. मर्या. कोरबा (पूर्व) के समक्ष आर.टी.आई. के तहत् दिनांक 27.01.2017 को प्रस्तुत किया था जहां जानकारी दी गई है कि उक्त संपूर्ण दस्तावेज सतर्कता विभाग छ.रा.वि. होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर जिला रायपुर छ0ग0 में भेज दिया गया है। इस कारण उक्त आवेदन आपके समक्ष दिया जा रहा है कृपया विधित समयावधि के भीतर उक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रदाय करने की कृपा की जावें। वांछित देय शुल्क जमा रकने को तत्पर हूं।

नोट :– वांछित दस्तावेज/जानकारी दो प्रति में प्रदाय की जावे।

दिनांक 19/5/017
संलग्न –

आवेदक
गिरधारी लाल साहू
निवास – ग्राम रिसदी. थाना बालको
कोरबा, तह. व जिला कोरबा
मो. नं0 – 7974968551

DGM-I
M-II
M-III
M-IV

EE(S)

AE(S)

New RTI –

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा,(पूर्व)
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपकम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

क. 20–22/मा.सं.वि./जनसूचना/1438 कोरबा पूर्व, दिनांक 17 FEB 2017

प्रति,
श्री गिरधारी लाल साहू
सेवानिवृत्त संयंत्र सहा.श्रेणी–एक
पता–साहू निवास, रिसदी चौक,
रिंगरोड, कोरबा (छ.ग.)

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भः– आपका आवेदन दनांक 27.01.17.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने अनिवार्य सेवानिवृत्त से संबंधित प्राथमिक एवं विभागीय जॉच से संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रति हेतु आवेदन किया गया है।

उपरोक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र कमांक 20–22/मासंवि/जनसूचना/1103 दिनांक 06.02.17 के द्वारा कार्यपालन यंत्री (मासंवि–6) को वांछित जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में जानकारी प्राप्त हुई की आपके अनिवार्य सेवानिवृत्त से संबंधित समस्त प्रकरण दस्तावेज फाईल अधीक्षण अभियंता (मासंवि) के पास उपलब्ध हो सकता है।

अधीक्षण अभियंता (मासंवि) कोरबा ताप विद्युत गृह छ.रा.वि.उ.कं.मर्या. कोरबा पूर्व के पत्र कमांक 20–22/मासंवि/कोपू/एफ–45/10 दिनांक 10.02.2017 के अनुसार प्रकरण फाईल हेतु मुख्य अभियंता (उत्पा.) केटीपीएस छ.रा.वि.उ.कं.मर्या. कोरबा पूर्व को गोपनीय पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को प्रेषित की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपके प्रेषित की जा रही है।

इस संबंध में यदि आपको कोई असंतोष हो तो कृपया अपीलीय अधिकरी एवं अधीक्षण अभियंता (मासंवि.) छ.रा.वि.उ.कं.मर्या. कोरबा पूर्व के कार्यालय में अपील कर सकते है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

जनसूचना अधिकारी
कार्या0 अधीक्षण अभियंता (मा.सं.वि.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या.कोरबा (पूर्व)

कोरबा ताप विद्युत गृह, कोरबा (पूर्व)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (मानव संसाधन विभाग)

क्रमांक 20-22/मा.सं.वि./को.पू./एफ-45/10 कोरबा दिनांक 10/02/2017

प्रति,

मुख्य अभियंता (उत्पा.),
के.टी.पी.एस.
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या.,
कोरबा (पूर्व)

विषय : श्री गिरधारी लाल साहू, संयंत्र सहायक श्रेणी–एक द्वारा फर्जीवाडा कर सी.एस.ई.बी. कोरबा पूर्व में नौकरी करने बावत्– सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत श्री साहू द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियों की मांग।

संदर्भ : 1. श्री गिरधारी लाल साहू का सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन दि. 27.01.17
2. इस कार्यालय का टीप क्र.233 दिनांक 23.03.15, 240 दि. 13.04.15 एवं 366 दिनांक 06.08.15
3. मुख्यालय रायपुर को प्रेषित आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3008, दिनांक 17.09.15 एवं सतर्कता अधिकारी, छ.रा.वि.होल्डिंग कंपनी मर्या. रायपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक 431, दिनांक 11.09.2015

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री गिरधारी लाल साहू, अनिवार्य सेवानिवृत्त संयंत्र सहायक श्रेणी–एक द्वारा संदर्भ क्र. 1 में वर्णित आवेदन दिनांक 27.01.17 के माध्यम से उनके विरुद्ध की गई विभागीय जांच से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजों की मांग गई है। **(छाया प्रति संलग्न)**

इस संबंध में लेख है कि श्री साहू के विरुद्ध की गई विभागीय जांच से संबंधित कागजातों को इस कार्यालय के टीप क्र. 214 दिनांक 13.01.15 के माध्यम से प्रथमतः 25 पेज संलग्न कर प्रेषित किया गया था जिसे आपके कार्यालयीन टीप क्र. 23 दिनांक 04.02.15 के माध्यम से जांच निष्कर्ष पूर्णतः स्पष्ट नहीं होना व्यक्त करते हुए पुनः जांच कर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु सम्पूर्ण प्रकरण वापस किया गया। जिस पर पुनः कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय के टीप क्र. 233 दिनांक 23.03.15 के माध्यम से सम्पूर्ण प्रकरण (37 पेज में) प्रेषित किया गया जिसे आपके कार्यालय द्वारा विधि अधिकारी कोरबा पूर्व को अभिमत हेतु प्रेषित किया गया । दिनांक 27.03.15 को विधि अधिकारी द्वारा अपना अभिमत वरि.प्रशा. अधिकारी कोरबा पूर्व को प्रेषित किया गया जिसे पुनः आपके कार्यालयीन टीप क्र. 267 दिनांक 10.04.15 के माध्यम से इस कार्यालय को टीप की कंडिका 18 में वांछित जानकारी हेतु वापस किया गया । वांछित जानकारी के साथ पुनः इस कार्यालय के टीप क्र. 240 दिनांक 13.04.15 के माध्यम से आपके कार्यालय को प्रकरण नस्ती (37 पेज) प्रेषित किया गया । उक्त टीप को आपके कार्यालयीन टीप क्र. 300, दिनांक 25.04.15 के माध्यम से मु.अ.(मा.संसा.), रायपुर को दिशा निर्देश हेतु प्रेषित किया गया। मु.अ. (मा.संसा.), रायपुर द्वारा अपने हस्तलिखित टीप क्र.479 दिनांक 27.04.15 के माध्यम से उप.महा.प्र.

CA / CRTI
10.02.17

(मा.संसा.), रायपुर द्वारा पुनः टीप क्र. 479 दिनांक 19.05.15 के माध्यम से आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया । जिसे आपके कार्यालय द्वारा टीप क्र. 97 दिनांक 08.06.15 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया तदउपरांत इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंसा करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण (58 पेज में) टीप क्र. 366 दिनांक 06.08.2015 के माध्यम से आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था। जिसके पश्चात् से आगे की कार्यालयीन टीपों में प्रकरण के साथ संलग्न किए गए विभागीय जांच से संबंधित मूल दस्तावेजों को वापस नहीं किया गया है।

आगे लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा धारित श्री गिरधारी लाल साहू से संबंधित नस्ती के अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि आपके कार्यालय द्वारा रातकर्ता अधिकारी, छ.रा.वि.होल्डिंग कंपनी मर्या. रायपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक 431, दिनांक 11.09.2015 के माध्यम से एवं मुख्यालय रायपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक 3008, दिनांक 17.09.15 के मार्फत विभागीय जांच संबंधी दस्तावेजों को प्रेषित किया गया है जिसकी वापसी आपके कार्यालय के माध्यम से अथवा सीधे मुख्यालय रायपुर स्थित कार्यालयों से इस कार्यालय को वापस नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में विभागीय जांच से संबंधित मूल दस्तावेजों के अभाव में आवेदक श्री गिरधारी लाल साहू को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही है।

यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि श्री गिरधारी लाल साहू द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में याचिका क्रमांक WPS 1244/2016, गिरधारी लाल साहू विरूद्ध छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी एवं अन्य दायर की गई है जिसके निराकरण/सुनवाई के दौरान विभागीय जांच से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों एवं पत्राचारों को कंपनी के अधिवक्ता अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मांग किए जाने की पूर्ण संभावना है ।

अतः निवेदन है कि मुख्यालय स्थित संबंधित कार्यालयों से आवश्यक पहल कर विभागीय जांच से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों/कागजातों को वापस प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

संलग्न : यथोपरि

अधीक्षण अभियंता (मा.सं.वि.)
कोरबा ताप विद्युत गृह
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या. कोरबा (पूर्व)

प्रतिलिपि :- श्री एन.बी.मित्रा, जन सूचना अधिकारी, एवं कार्यपालन अभियंता (कार्यालय), कार्यालय अधीक्षण अभियंता (मा.सं.वि.), के.टी.पी.एस., छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., कोरबा (पूर्व) को सूचनार्थ ।

सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र. 03—11/सू.अधि./44—17/2206 रायपुर, दिनांक 24-05-17

प्रति,

श्री गिरधारी लाल साहू,
निवास—ग्राम रिसदी, थाना—बालको कोरबा,
तह.व जिला—कोरबा छ.ग.

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विशयक।
संदर्भः—आपका आवेदन क्र. निरंक, दिनांक 19.05.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 44—17, दिनांक 21.05.2017।

—::000::—

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 19.05.2017 को प्राप्त हुआ है।

आपके द्वारा अपने स्वयं के अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्राथमिक एवं विभागीय जांच से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज की सत्यापित प्रति चाही है। तत्संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि संबंधित जॉच प्रक्रियाधीन है। अतः वर्तमान में जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत उक्त जानकारी के विरूद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रू. 50/— मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार हैः—

श्री पी.के.अग्रवाल
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)—एक
कार्यालय— मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।
दूरभाष—0771—2574883

R. Jha
24/05/17

राजीव झा
जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.— मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771—2574081

o/c

मुख्य अभियन्ता (मा.संसा.), छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., शेड नं.—3, विद्युत सेवा भवन परिसर, डंगनिया, रायपुर (छ.ग.) 492013.
दूरभाष क्र. 0771—2574408, फैक्स क्र. 0771—2574035, ई—मेल hr.cspgcl@cseb.gov.in, वेबसाईट www.cspc.gov.in
D:\RTI\HQ Letter Head Hindi) Appeal